CDM Watch
Scrutinizing Carbon Offsets

पारखी नज़र

सी डी एम पर एन जी ओ की आवाज़

दूसरा संस्करण : अगस्त 2012

अभिनन्दन!

हमारे एन जी ओ की पत्रिका 'पारखी नज़र!सी डी एम पर एन जी ओ की आवाज़!' का नवीनतम ग्रीष्मकालीन संस्करण प्रस्तुत है। वर्ष के अन्त तक यूरोपीयन बाज़ार के लिए योग्यता के मानदंडों में बदलाव आने से पहले उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के अन्तिम प्रोजेक्ट पंजीकरण के लिए तेज़ी से बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। तरीकों के स्थगित रहने के कारण मैला कोयला इस दौड़ में भाग नहीं ले सकेगा। इस निर्णय से लगभग सभी कोयला ऊर्जा के प्रोजेक्टों को भविष्य में मिलने वाले कार्बन केडिटों से बाहर कर दिया गया है। क्या सही समय है! हालांकि यह बहुत बढ़िया ख़बर है परन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि ऐसी अर्थिक प्रणालियाँ तैयार की जा सकें जिसका लाभ मौसम व लोगों तक पहुँचाया जा सके। हो सकता है कि इस वर्ष रियो+20 में शुरू किए गए लगातार विकास को बढ़ावा देने से गतिरोध को समाप्त किया जा सके व उन प्रोजेक्टों को महत्ता दी जाए जो स्थानीय लोगों व मौसम को लाभ पहुँचाएँ। जिन समस्याओं से सी डी एम जूझ रहा है उन्हें देखते हुए सुधार के कई मुद्दों को सुलझाने के प्रयास चल रहे हैं जिनसे बहुत उम्मीदें हैं।

इस दूसरे संस्करण में हम मुख्यत: सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड में लिए गए नवीनतम निर्णयों पर प्रकाश डालेंगे। हम यह भी देखेंगे कि सी डी एम पॉलिसी डायलॉग में अभी तक कैसा काम हुआ है व इस बात का भी मूल्यांकन करेंगे कि इसमें भद्र समाज का सही प्रतिनिधित्व हुआ है कि नहीं। हम रियो+20 पर भी नज़र डालेंगे जहाँ पर सम्मेलन का एक मुख्य भाग सी डी एम के अपने लक्ष्य पूरा करने की समस्याओं पर केन्द्रित था। सी डी एम वॉच नेटवर्क का पहला जन्मदिवस मनाते हुए हम अपने मेहमान लेखकों के कई सारे लेख इसमें शामिल करेंगे। भारत व मेक्सिकों में स्थानीय साझेदारों की चर्चाओं के परीक्षण ने सिद्ध किया है कि ऐसी अधिकतर चर्चाएँ काफी नहीं होतीं व कुछ केसों में नकली भी होती हैं। हम चिले में सी डी एम के प्रदर्शन को भी देखेंगे व अन्त में मेक्सिकों के कूड़ा प्रबन्धन से सम्बन्धित विवादित मुद्दों पर नज़र डालते हुए किस प्रकार यूरोप कूड़े से प्राप्त कार्बन केडिट की सत्यता को स्वीकार रहा इसे है देखेंगे।

पारखी नज़र! अंग्रेज़ी, स्पैनिश, हिन्दी व बांग्ला में त्रैमासिक पत्रिका के रूप में अभियान की नवीनतम जानकारियों व दुनिया भर से प्राप्त राय के साथ निकलती है। यदि आप पारखी नज़र के अगले संस्करण में लेख आदि देना चाहते हैं या फिर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कृप्या antonia@cdm-watch.org से सम्पर्क करें।

page 2. 68वीं सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग की विशिष्टताएँ

page 3. सी डी एम पॉलिसी डायलॉग - अपने पक्ष के लोगों का निर्णायक मुकाबला या एक इमानदार समालोचना?

page 5. पहला जन्मदिवस मुबारक हो सी डी एम वॉच नेटवर्क!

page 7. रियोइ20 में दीर्घकालिक विकास - कितना दूर कितना पास

page 8. चिले में सी डी एम पर एन जी ओ की राउन्ड टेबल

page 10. स्थानीय साझेदारों से चर्चा - क्या केवल एक औपचारिकता?

page 12. मेक्सिको का यथार्थ - सी डी एम में भाग लेने वाले कौन?

page 14. मेक्सिको में सी डी एम के कूड़ा प्रबन्धन प्रोजेक्ट

page 16. कूड़े से प्राप्त कार्बन केडिट के यथार्थ पर यूरोप जागा

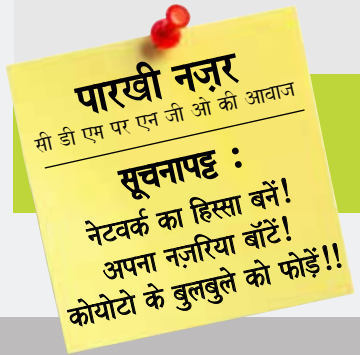

68वीं सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग की विशिष्टताएँ

ईवा फिल्ज़मोज़र, डायरेक्टर, सी डी एम वॉच

सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की 68वीं मीटिंग (ई बी) बॉन में 16 से 20 जुलाई तक हुई व इसने सी डी एम के कोयला पावर प्रोजेक्टों पर विजय प्राप्त की। इसमें दीर्घकालिक विकास सूचना (एस डी) के उपकरण से सम्बन्धित चर्चा को आगे बढ़ाया गया व इसे सितम्बर में होने वाली बोर्ड की अगली मीटिंग में चर्चा के बाद अनुमोदित कर दिया जाएगा। यह लेख एस डी उपकरण को बारीकी से देखता है व मीटिंग के मुख्य नतीजों का सार प्रस्तुत करता है।

68वीं बोर्ड मीटिंग सी डी एम वॉच व उसके कोयले के विरूद्ध अभियान का एक प्रमुख मील का पत्थर थी। बोर्ड का एक बार फिर से कोयले की प्रणाली में बदलावों को नामंज़ूर करने का निर्णय लेना नए सी डी एम के ई यू ई टी एस कोयला प्रोजेक्टों से मिलने वाले कार्बन केडिटों के लिए दरवाज़े बन्द करना था। सही समय ! अधिक जानकारी के लिए कृप्या बॉक्स में देखें।

सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने इस विषय पर भी चर्चा की कि एक ऐसे दीर्घकालिक विकास की सूचना देने वाले उपकरण को विकसित किया जाए जो सी डी एम प्रोजेक्टों के जुड़े हुए लाभ को उजागर कर सके। शुरूआत में मिले एक अच्छे अवसर को तब गँवा दिया गया जब अपनी पिछली मीटिंग में बोर्ड ने यह तय किया कि यह उपकरण स्वैच्छिक होगा व इसके लिए कोई सत्यापन या जॉच ज़रूरी नहीं होगी।

अभी तक जो उपकरण विकसित हुआ है वह करीब 20 प्रश्नों की सही का निशान लगाई जाने वाली एक प्रश्नावली (क्वेस्चनैयर) है जहॉ उसे अन्य विषयों में, जुड़े हुए लाभ में, नुकसान से बचाए जाने वाले तरीकों व साझेदारों के जुड़ाव जैसे भागों में विभाजित किया गया है। इस उपकरण के मुख्य उद्देश्य हैं 1) सी डी एम के दीर्घकालिक विकास को समर्थन देने की एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की क्षमता में सुधार लाना। 2) सी डी एम के दीर्घकालिक जुड़े हुए लाभों को सरल एवं कारगर बनाकर प्रकाशित करना। 3) राष्ट्रीय सरकारों को दीर्घकालिक विकास को तय करने की ज़िम्मेदारी देना।

बोर्ड ने जनता की टिप्पणी के लिए गुहार लगाई जिस पर सी डी एम वॉच ने सी आई ई एल व अर्थ जस्टिस की मदद से 10 अगस्त 2012 को एक निवेदन (submission)प्रस्तुत किया। इस निवेदन में ऊ पर दी गई चिंताओं को उजागर किया गया है विशेषकर इस बात को कि यह उपकरण केवल प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों के लिए ही उपल्ब्ध है व यह भी कि यह इस बात की कि प्रोजेक्ट के किसी भागीदार ने नुकसान न पहुँचाने वाले नियमों का पालन किया है या उसने ऐसे अवसर खड़े किए हैं जिनसे परामर्श की प्रकिया में अर्थपूर्ण भागीदारी हो सके पर्याप्त जानकारी भी नहीं लेता।

जहॉ पर स्वैच्छिक प्रतिवेदन के उपकरण में जॉच व सत्यापन की कमी होती है वहॉ यह पर यह एक काबिले तारीफ बात है कि दीर्घकालिक विकास राजनैतिक कार्यवाही के तहत हुआ है। हाल में हुए इन परिवर्तनों के कारण व रियो+20 में अन्तर्राष्ट्रीय दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों को विकसित करने के

ई यू में कोयला ऊर्जा के मैले कार्बन केडिट का अन्त - पहली जीत व आगे कई और आएँगी!

नवम्बर 2011 में डर्बन में सी ओ पी 17 के तुरन्त पहले सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने कोयला ऊर्जा प्रोजेक्टों (प्रणाली ए सी एम 0013) के केडिट नियम रद्द कर दिए थे। अपनी पिछली मीटिंग में बोर्ड ने प्रणाली में सुधार के लिए एक और निवेदन किया था। चीन व भारत के नए कोयला प्लांट सी डी एम का प्रयोग करके करोड़ों का धन मौसम के कोष के रूप में कमा रहे थे। इसे अब रोक दिया गया है। बोर्ड का निर्णय इन प्रोजेक्टों के ताबूत की आख़िरी कील के रूप में आया है क्योंकि अब चीन व भारत के व्यापार तरीकों को अगले साल के शुरू में ई यू द्वारा समाप्त करने से पहले प्रणाली में सुधार का समय नहीं रहेगा। ई यू ई टी एस के सबसे बड़े बाज़ार होने के नाते जो करोड़ों का धन कोयले में जाने वाला था वह अब नहीं जा सकेगा। हम सियेरा क्लब को उनके प्रचार व स्टॉकहोम एन्वायरॉन्मेन्ट इन्स्टीट्यूट को उनके तकनीकी विश्लेषण के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं - व कोयले की लड़ाई के अन्य सिपाहियों को भी!

निर्णय ने सी डी एम में एस डी की केन्द्रीय भूमिका व मौसम में कमी लाने वाली प्रणालियों पर एक व्यापक चर्चा के लिए माहौल तय कर दिया।

दीर्घकालिक विकास के मुद्दे को सी डी एम प्रोजेक्टों के मान्यता पत्रों (एल ओ ए)को हटाने की चर्चाओं में भी शामिल किया गया। प्रत्येक भावी सी डी एम प्रोजेक्ट को पंजीकरण कराने से पहले मेज़बान सरकार से ऐसा एल ओ ए लेना पड़ता है। सरकारी कानून में हो सकने वाले उल्लंघन व डी एन ए की भूमिका का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया गया व बोर्ड के कुछ सदस्यों का मानना था कि यू एन द्वारा मेज़बान देशों या प्रोजेक्ट भागीदारों पर ऐसी कोई कानूनी पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ बोर्ड के कुछ अन्य सदस्यों ने दीर्घकालिक विकास की महत्ता व उपयुक्त मानदंडों की कमी पर पुन: ज़ोर दिया।

एक कम सकारात्मक बात यह है कि एक संशोधित प्रणाली जो कूड़ा जलाने व गढ्ढे भरने (ए एम **0025**)के लिए कई सारी कमियों जैसे कि स्थानीय समुदायों पर भविष्य में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के साथ अनुमोदित कर दी गई। मीटिंग में जिन अन्य मुद्दों पर बातें की गईं वे थे अन्य विषय, अतिरिक्तता के परीक्षण के लिए लघु व अति लघु प्रोजेटों के लिए मार्गदर्शन, दबी हुई मॉग के लिए मार्गदर्शन, स्टैन्र्डाइज़्ड बेसलाइन के ए आर प्रोजेक्टों के लिए धन व उनका विस्तार। मीटिंग में दो नए बोर्ड के सदस्यों को बांग्लादेश व ज़िम्बाब्वे से नियुक्त भी किया गया व कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के नए वर्किंग ग्रूप (सी सी एस डब्लू जी) को भी नियुक्त किया गया।

मीटिंग की एक व्यापक सार की रिपोर्ट को यहॉं (here)देखा जा सकता है।

इन मुद्दों पर लिए जाने वाले प्रमुख निर्णय बोर्ड की आने वाली मीटिंग जो बैंकॉक में **9** से **13** सितम्बर तक होगी उसमें लिए जाने की सम्भावना है। हम विशेषकर दीर्घकालिक विकास के उपकरण के विकास के विषय में चर्चा व स्थानीय साझेदारों के साथ चर्चा की नई ज़रूरतों के बारे में उत्साहित हैं। इस मीटिंग में सी डी एम पॉलिसी डायलॉग पैनल की रिपोर्ट का अनुमोदन भी किया जाएगा। सितम्बर की मीटिंग सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की सालाना रिपोर्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दोहा में सी ओ पी **18** में रखे गए सुझाव सामने लाए जाएँगे।

"दीर्घकालिक विकास किशोरावस्था के सेक्स की तरह होता है - सब यह दावा करते हैं कि वे यह कर रहे हैं परन्तु अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते और जो करते भी हैं वे बहुत खराब तरह करते हैं" किस स्प्रे (नॉथ्मिब्रियन वॉटर) के द्वारा दीर्घकालिक विकास पर एक डिज़ाइन काउन्सिल लेख में

जी ए आई ए के सौजन्य से

सी डी एम पॉलिसी डायलॉग - अपने पक्ष के लोगों का निर्णायक मुकाबला या एक इमानदार समालोचना?

एन्टोनिया वॉर्नर, नेटवर्क कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर लैटिन अमेरिका व अफ्रीका, सी डी एम वॉच

CC Rose Robinson

उल्टी गिनती करीब करीब समाप्त : सी डी एम पॉलिसी डायलॉग के उच्च स्तरीय पैनल ने 24 से 26 जुलाई तक चलने वाली जोहैनसबर्ग में अपनी पिछली मीटिंग में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है। इस रिपोर्ट में सुधार सम्बन्धी सुझावों का ब्यौरा दिया गया है व इसका विमोचन सितम्बर 2012 में किया जाएगा। हमने इस प्रकिया को करीब से देखा है व हमें चिंता है कि अन्तिम रिपोर्ट के नतीजे व्यापारी पक्ष से प्रभावित होंगे। सी डी एम में सुधार लाने की प्रकिया को कारगर बनाने के लिए अन्तिम रिपोर्ट में सी डी एम की एक ईमानदार समीक्षा होनी चाहिए व अप्रिय परिणाम से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। पारखी नज़र से आपको इस अन्तिम रिपोर्ट के विषय में जानकारी मिलती रहेगी।

क्योंकि पैनल के अधिकतर सदस्यों को सी डी एम का कम ही पूर्व अनुभव था, अलग अलग साझेदारों की ओर से एक संतुलित सहयोग की आवश्यकता थी ताकि पैनल के सदस्य अपने विचार बनाने की प्रकिया चालू कर सकें। हालांकि सहयोग के सीमित अवसर व साझेदारों के साथ मीटिंग न होने के कारण व यात्रा के उचित प्रबन्ध की कमी की वजह से भद्र समाज के प्रतिनिधियों के लिए साझेदारों की मीटिंगों में भाग लेना संभव न हो सका जिसके कारण इसमें व्यापारी पक्ष की बहुलता रही। इस प्रकिया का तोड़ निकालने के लिए सी डी एम वॉच ने भद्र समाज के पक्ष की ओर से जहाँ तक संभव हो सका है एक समीक्षात्मक सहयोग देने का प्रयत्न किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मौसम परिवर्तन के सम्मेलन में मई में बॉन में हमने एक परिचर्चा मंच (discussion forum) बनाया और एक अन्य कार्यक्रम (side event) का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम में हमने पैनल के सदस्यों को एक खुला पत्र (open letter) भी प्रदान किया जिसमें **27** देशों के **84** संस्थानों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था व जिसमें सी डी एम की ज़रूरी व अभी तक ध्यान न दी हुई चिंताओं का ज़िक्र था।

सी डी एम पॉलिसी डायलॉग पैनल को भद्र समाज का पत्र

बॉन, **21** मई **2011**

27 देशों के हम 84 भद्र समाज की संस्थाएँ, नेटवर्क व सम्बद्ध नागरिक इस पत्र को प्रस्तुत कर आपका ध्यान सी डी एम के विषय में कुछ ज़रूरी चिंताओं की ओर खींचना चाहते हैं।

सी डी एम को मौसम के संकटकालीन वृहत क्षेत्र में समझा जाना चाहिए व विकास के विकल्प चुनने की एक लोकतान्त्रिक प्रकिया का हिस्सा मानना चाहिए। अनुभव से यह पता चलता है कि सी डी एम ने अभी तक अपने वर्तमान रूप में अपने दोहरे लक्ष्य स्रावों को कम करना व दीर्घकालिक विकास को प्राप्त नहीं किया है। वास्तव में केडिट का एक भारी भाग विशाल औद्योगिक प्रोजेक्टों से आता है जो कोई भी सामाजिक या पर्यावरण सम्बन्धी लाभ नहीं देते व अक्सर गरीबों पर उनके गम्भीर कुप्रभाव ही दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रोजेक्ट तो पर्यावरण, समाज व व्यक्तियों को भयंकर नुकसान पहुँचा रहे हैं या/व राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय नियमों व मानकों की अनदेखी कर रहे हैं जैसे की मानवाधिकार।

हम सी डी एम पॉलीसी डायलॉग पैनल के सदस्यों से गुहार करते हैं कि वे सी डी एम की इस विषय में जवाबदेही करें व निम्न अत्यावश्यक मुद्दों को आने वाली सितम्बर 2012 की अपनी रिपोर्ट व सी ओ पी 18 दोहा में विशेषकर सम्बोधित करें :

- अतिरिक्तता
- प्रोजेक्टों के प्रकार की पात्रता
- दीर्घकालिक विकास
- मानवाधिकार
- सी डी एम की प्रकिया में जनता की भागीदारी
- शिकायत निवारण के तरीके

आप पूरा पत्र यहाँ देख सकते हैं here.

हमारे नेटवर्क के सदस्यों का भाग ली हुई साझेदारों की मीटिंगों के विषय में क्या कहना है?

' सी डी एम पॉलिसी डायलॉग की रियो की मीटिंग एक बढ़िया अवसर था यह जानने का कि मौसम योजना का 21वीं सदी में भविष्य कैसा होगा। सभी पार्टियों को यह सोचना ज़रूरी है कि वर्तमान प्रणाली लगातार दोषपूर्ण होती जा रही है और मौसम में बदलाव की चुनौती राष्ट्रीय सरकारों व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से एक सम्पूर्ण प्रतिबद्धता माँगती है कमी करने व स्वयं को ढालने दोनों के लिए। हम स्रावों में कमी व मानवाधिकार को दो अलग अलग प्रश्नों के रूप में नहीं देख सकते।'

ओस्वालडो जॉर्डन, ए सी डी पनामा। **15** जून **2012** को रियो डी जनायरो में साझेदारों की मीटिंग में भाग लिया।

16 जुलाई **2012** को दिल्ली में साझेदारों की चर्चा की मीटिंग का फीडबैक

क्या भद्र समाज इस मीटिंग में पूरी तरह शामिल था? क्या वह रचनात्मक थी? उससे जुड़ने के लिए कौन से अवसर प्रदान किए गए? क्या आपको लगता है कि पॉलिसी डायलॉग पैनल के सदस्य मौजूद भद्र समाज के लोगों को सहयोग दे पाए?

'यह बहुत दुखद था कि कम्पनियों, सलाहकारों व एफ आई सी सी आई के कर्मचारियों की भीड़ में बहुत कम भद्र समाज मौजूद था। डी एन ए भारत के एक अधिकारी भी मौजूद थे। परिचर्चा में सामाजिक व पर्यावरणीय मुद्दों की परिचर्चा में अनदेखी की गई और यह लग रहा था मानो पॉलिसी डायलॉग का केन्द्र केवल सी डी एम का व्यवसायिक पहलू ही था। फिर भी हम इस अवसर का फायदा उठा कर उन सी डी एम प्रोजेक्टों को सामने लाए जिनका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है व जो पर्यावरण, वन, बायोडाइवर्सिटी कानून के वर्तमान नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और जो स्थानीय ग्राम पंचायत व भारतीय संविधान के मूल सिद्धान्तों के खिलाफ जा रहे हैं। मैं दिल से आशा करती हूँ कि पैनल के सदस्य व पॉलिसी बनाने वाले स्थानीय गरीब तबके को न भूलते हुए सी डी एम पॉलिसी को बनाते हुए उनकी समस्याओं व कष्टों का ध्यान रखेंगे।'

डॉ लीना गुप्ता, सीनियर वैज्ञानिक (सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर), सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवेलपमेन्ट, नई दिल्ली, भारत। इन्होंने **16** जुलाई **2012** को नई दिल्ली में साझेदारों की मीटिंग में भाग लिया।

'सामान्य तौर पर भद्र समाज के लोगों के साथ पॉलिसी डायलॉग पैनल के सदस्य हालांकि बहुत मददगार थे परन्तु ऐसा लग रहा था कि कार्यक्रम करवाने वाली संस्था एफ आई सी सी आई की अधिक रूचि आसानी से सी ई आर उत्पादित करने में थी न कि प्रणाली की पर्यावरणीय व सामाजिक निष्ठा का सत्यापन करने में। बेहतर होता यदि डी एन ए जो एक सरकारी प्राधिकरण है वह इस डायलॉग की मेज़बानी करता ताकि निष्पक्ष व स्पष्ट निर्णय लिए जा सकते।'

'हालांकि भद्र समाज को अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किए गए व एक तय किए गए प्रश्न मीटिंग के पहले हमारे पास भेज दिए गए थे जिन पर टिप्पणी करके हमें अपने विचार देने थे पर यह केवल मीटिंग से **2** ही दिन पहले दिया गया जो कि काफी कम समय था।'

'मुझे फिर भी लगता है कि मीटिंग रचनात्मक थी क्योंकि हम यह जान पाए कि लाभान्वित लोगों के समक्ष क्या मुद्दे होते हैं व विभिन्न साझेदारों की क्या भूमिका होती है। हमें डी एन ए के साथ भी चीज़ों के विषय में बातचीत करने का मौका मिला। इसके साथ साथ डी एन ए के सेकेटरी के साथ विचारों को आदान प्रदान करने के अवसर मिले जो सबके लिए लाभदायक रहा।'

महेश पांड्या, पर्यावरण मित्र। इन्होंने दिल्ली में **16** जुलाई को साझेदारों की मीटिंग में भाग लिया।

सी डी एम जिन समस्याओं से जूझ रहा है उन्हें देखते हुए अन्तिम रिपोर्ट में कई मुद्दों को सामने लाना है व उम्मीदें बहुत अधिक हैं। विशेषकर मौसम के लाभों के बगैर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को दूर करना, किस प्रकार के सी डी एम प्रोजेक्ट वास्तव में दीर्घकालिक विकास में योगदान देने योग्य हैं व विकासशील देशों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिए जाएँ कि वे अपने स्रावों की कमी में बढ़ोत्तरी करें। 5000 से भी अधिक प्रोजेक्टों के पाइपलाइन में होने से वे प्रोजेक्ट जो आने वाले कई सालों तक चलते रहेंगे उनकी पंजीकरण के बाद उनके प्रभावों की जॉच जारी रखना व शिकायतों के निवारण की प्रणाली को तुरन्त दुरूस्त करना बहुत ज़रूरी है।

जब सी डी एम में सुधार आएँगे तब ही वह स्राव में कमियों को लाकर स्थानीय समाज को दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है और "भविष्य की प्रणाली" बन सकता है।

'पॉलिसी डायलॉग की मीटिंग एक व्यवसायिक मीटिंग ज़्यादा लग रही थी जहॉ पर ज़्यादातर उद्योग तुरन्त पैसे, बेहतर प्रणाली व कम समय की बातें कर रहे थे। दीर्घकालिक विकास व सी एस आर के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई। देश में सी डी एम के सकारात्मक असर को लेकर कोई भी प्रेज़ेन्टेशन नहीं दिया गया।'

'भद्र समाज के केवल तीन प्रतिनिधि उपस्थित थे जिसके कारण यह काफी एकतरफा व उद्योगों के पक्ष की होकर रह गई थी। पैनल में भी भद्र समाज का प्रतिनिधित्व नहीं था। वहॉ भी केवल सरकार व उद्योग ही थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भद्र समाज को ज़बरदस्ती इस डायलॉग में घुसना पड़ रहा था।'

'फिर भी पॉलिसी डायलॉग रचनात्मक रहा क्योंकि हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों को इज़्ज़त दी गई व हमें अपने मुद्दों को लिखित में देने के लिए तीन दिन का समय भी दिया गया जो हमने किया। यह और भी रचनात्मक हो सकता था यदि हमें अधिक समय दिया गया होता व मीटिंग में देश भर के अन्य भद्र समाज के संस्थान भी मौजूद होते। सी डी एम वॉच के नेटवर्क से और अधिक सकीय भागीदारी होनी चाहिए थी।'

तुषार पंचोली, पर्यावरण विकास केन्द्र। इन्होंने दिल्ली में 16 जुलाई को साझेदारों की मीटिंग में भाग लिया।

CDM Policy Dialogue

यहॉ पर अपना वोट देकर अपना मत कन्सलटेशन प्रणाली के ऑनलाइन परिचर्चा फोरम के प्रदर्शन व ऐक्सेसेबिलिटी को दें।
http://www.qiqo.info/cdmwforum/index.php?topic=27.0

पहला जन्मदिवस मुबारक हो सी डी एम वॉच नेटवर्क!

एन्ड्रू कोइली व एन्टोनिया वॉर्नर, सी डी एम वॉच नेटवर्क

पिछले वर्ष इसी समय पर सी डी एम वॉच नेटवर्क का शुभारम्भ हुआ था। उसके बाद से इसके विषय में खबर फैली है और यह केवल कुछ कार्यकर्त्ताओं और हमारे साथ सी डी एम व कार्बन बाज़ारों में काम कर रहे शिक्षाविदों से बढ़ कर 500 सदस्य संस्थानों व नेटवर्कों का हो गया है जो विभिन्न मुद्दों पर 5 महाद्वीपों में काम कर रहे हैं। सबको जन्मदिन की शुभकामनाएँ!

सी डी एम वॉच नेटवर्क के काम के शुरूआती चरणों में एक अन्तर्राष्ट्रीय भद्र समाज के नेटवर्क की स्पष्ट ज़रूरत दिखाई दी जिसका केन्द्र सी डी एम हो व उसकी जल्दी से पहचान भी की गई। हम भद्र समाज का एक ऐसा गुट बनाना चाहते थे जो एक स्तर पर तो चल रहे प्रोजेक्टों के दीर्घकालिक विकास को चुनौती दे व साथ साथ आने वाले नुकसानदायक प्रोजेक्टों के खिलाफ अभियान भी चलाए। 2011 के आरम्भ में सी डी एम वॉच ने सी डी एम वॉच नेटवर्क को लॉन्च किया। इस नेटवर्क का लक्ष्य भद्र समाज की आवाज़ सी डी एम व अन्य कार्बन बाज़ार के विकास को मज़बूती प्रदान करना है ताकि वे स्रावों की नकली कमी व पर्यावरण और समाज को नुकसान पहुँचाने

वाले प्रोजेक्टों को रोक सकें। यह नेटवर्क दुनिया भर में भद्र समाज व शिक्षाविदों को जोड़ने का काम करता है ताकि जानकारियों को बॉटा जा सके व जनता के सहयोग जैसे खुले पत्रों व निवेदनों का संयोजन किया जा सके। सदस्य लोग मेलिंग सूची का प्रयोग करके नेटवर्क के अन्य सदस्यों से ज़रूरी जानकारी व महत्वपूर्ण सूचनाएँ और वकालत में जीत को बॉटते हैं। नेटवर्क के सदस्यों की सूची उनके महाद्वीपों में देखने के लिए कृप्या देखें Asia, Africa, Americas and Europe.

सी डी एम और कार्बन बाज़ारों के चारों ओर होने वाली परिचर्चाओं व पॉलिसी के विकास की बातें काफी चकराने वाली व तकनीकी हो सकती हैं। हम कार्यकर्त्ताओं व उन संस्थाओं को जो कार्बन बाज़ार के विषय में चिंतित हैं उन्हें इन गरम खबरों व मुद्दों के बारे में ठीक से जानने में मदद करते हैं। पिछले तीन वर्षों में एन जी ओ व चिंतित नागरिक हमारी क्षेत्रीय क्षमता बढ़ाने वाली वर्कशॉप में एक साथ आए हैं ताकि सी डी एम व कार्बन बाज़ार से सम्बन्धित अपने अनुभव व चिंताओं को बॉट सकें। यह एक उत्साहवर्धक बात है कि इतने सारे संस्थानों ने नेटवर्क के सभी ओर ऑनलाइन रह कर इस परिचर्चा को जारी रखा है व एक दूसरे को सहयोग देकर पहचान की गई चिंताओं को ज़िम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचाया है। वे सदस्य जो किसी विशेष प्रोजेक्ट या किसी प्रकार के प्रोजेक्ट को लेकर अपने देश में चिंतित हैं वे उसकी जानकारी यहाँ पर बॉट कर जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं जो कि शायद कई भद्र समाज के संस्थानों को अलग से नहीं मिल पाती। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन चिंताओं को शासन के सभी स्तरों तक पहुँचाया जाए यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। नेटवर्क के मज़बूत होने के साथ साथ भद्र समाज की समीक्षात्मक आवाज़ भी सी डी एम व कार्बन बाज़ारों में तेज़ हो सकेगी।

सी डी एम वॉच के केन्द्र बिन्दु

सी डी एम वॉच नेटवर्क लगातार विकसित होता रहता है। भद्र समाज के इस मंच को और विकसित करने व मज़बूत बनाने के लिए हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय केन्द्र बिन्दु बनाए जा रहे हैं। इन संस्थानों को जिन्हें उनकी निपुणता व नेटवर्क में सकीय भूमिका निभाने के कारण चुना गया है वे सी डी एम और कार्बन बाज़ारों की क्षेत्रीय स्तर पर जनता द्वारा छानबीन करने में मदद करेंगे। अपने देश व क्षेत्र के सी डी एम सम्बन्धित मुद्दों पर ये केन्द्र बिन्दु भद्र समाज के सम्पर्क सूत्र की तरह काम करेंगे। इससे सी डी एम के वृहत नेटवर्क व राष्ट्रीय भद्र समाज के नेटवर्क के बीच एक संचार का माध्यम बनाने में सहूलियत होगी। इसी प्रकार ये केन्द्र बिन्दु पहचान किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को वापस नेटवर्क तक पहुँचाने का काम भी करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भद्र समाज की आवाज़ शासन के सभी स्तरों तक पहुँच सके ये केन्द्र बिन्दु राष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों के अधिकारियों व काम करने वालों से भी सम्पर्क में रहेंगे।

हम सब एक साथ मिलकर शासन के कमज़ोर नियम व तरीकों को सामने लाकर सी डी एम के समस्याग्रस्त प्रोजेक्टों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ अभियानों व कार्यों में सहयोग देंगे। यदि आपके पास जो हम कर रहे हैं उसमें सुधार लाने के लिए कोई सुझाव हैं तो हमें उन्हें सुनने में खुशी होगी।

हम दुनिया भर के अपने सभी सदस्यों उनके सहयोग, भागीदारी व सुझावों के लिए उनका धन्यवाद करना चाहेंगे और आने वाले वर्षों में नए पारखियों का स्वागत करना चाहेंगे।

सी डी एम वॉच नेटवर्क निम्न देता है:

- भद्र समाज का एक मंच जहाँ पर सी डी एम व कार्बन बाज़ार के विषय में सूचनाएँ बॉटी जा सकें।
- प्रोजेक्ट अभियान व वकालत के प्रयासों के लिए साथियों का सहारा
- अभियान में भाग लेने के अवसर व वकालत के काम जैसे खुले पत्र व निवेदन
- तीन मेलिंग सूची जिनमें से आप छाँट सकते हैं:
  - **ग्लोबल सी डी एम वॉच नेटवर्क मेलिंग लिस्ट:** यह मेलिंग लिस्ट पूरे नेटवर्क के लिए अभियान व योजना की खबरों को बॉटने के लिए व सम्बन्धित विषयों पर मीडिया की कवरेज पता करने के लिए व जनता के सहयोग के अवसरों की खबर देता है और तकनीकी व राजनैतिक प्रश्नों के विषय में चर्चा करने के लिए आप इससे जुड़ें।
  - **सी डी एम वॉच इन्डिया नेटवर्क:** कई भारतीय संस्थाओं जिन्होंने पिछले कई वर्षों तक सी डी एम प्रोजेटों के विकास का निरीक्षण किया है उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप यह मेलिंग सूची मई 2012 में लान्च की गई। आप इस मेलिंग सूची से यहाँ पर जुड़ सकते हैं।
  - **रेड डे विजिलेन्शिया:** यह स्पैनिश मेलिंग लिस्ट है जो लैटिन अमेरिकन संस्थाओं को जोड़ती है जो सी डी एम व कार्बन बाज़ार का निरीक्षण करते हैं। आप इस मेलिंग सूची से यहाँ जुड़ सकते हैं

सी डी एम वॉच की सदस्यता मुफ्त है व यह सभी एन जी ओ व शिक्षाविदों के लिए जो औपचारिक तौर पर सरकार व व्यवसायिक संस्थाओं से पृथक हैं, खुली है। हम विशेषकर सी डी एम अभियान के मेज़बान देशों के कार्यकर्त्ताओं और स्थानीय आंदोलनों को इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए आमन्त्रित करते हैं।

http://www.cdm-watch.org/?page_id=16

पर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।

यदि आप या आपका संस्थान हमसे राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु बनने के विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं तो कृप्या हमारी नेटवर्क कोऑर्डिनेटर से **antonia@cdm-watch.org** पर सम्पर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए

Join us online at: http://www.cdm-watch.org/?page_id=16 and connect on Facebook and twitter.

रियो+20 में दीर्घकालिक विकास - कितना दूर कितना पास

निकोला फ्रैकैरोली, पॉलिसी इन्टर्न, सी डी एम वॉच

रियो में 1992 में हुए सम्मेलन में कोयोटो प्रोटोकॉल की नींव का पत्थर रखा गया जिसके बाद विकास की स्वच्छ प्रणाली (क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म) बनाई गई जिसका लक्ष्य कार्बन स्रावों को कम करने के साथ साथ दीर्घकालिक विकास प्रदान करना भी था। बीस वर्ष बीत जाने के बाद आज भी दीर्घकालिक विकास अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। एक मुख्य नतीजा जो निकल कर आया था वह यह था कि दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों को विकसित किया जाए। अभी भी यह देखना बाकी है कि सी डी एम अन्य कार्बन बाज़ार की प्रणालियों के लिए क्या मायने रखता है।

यह उम्मीद कि दीर्घकालिक विकास की ओर सी डी एम के योगदान (या उसकी कमी) पर उठे हुए मुद्दों का निवारण होगा, खत्म हो गई है क्योंकि सी डी एम के सामने समस्याएँ हैं व वह उसके मौसम में कमी और दीर्घकालिक विकास के दोहरे लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाया है। इसके बाद भी सम्मेलन के एक मुख्य भाग में सी डी एम मौजूद था - द युनाइटेड नेशन्स डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम (यू एन डी पी) ने एक पहल की जब उसने 1400 यू एन के सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकारियों के कार्बन पदचिन्हों में कमी लाने का प्रयास किया। यह 3600 कार्बन केडिट खरीद कर प्राप्त करना था जिसमें से हरेक 1 टन कार्बन डाय ऑक्साइड जो कि इस सम्मेलन की तैयारी करने में ब्राज़ीलियन सी डी एम प्रोजेक्टों में बनी, के बराबर था।

हालांकि ब्राज़ील की सरकार से यह पूछे जाने पर कि इसके लिए कौन से प्रोजेक्टों का प्रयोग किया गया व इनके दीर्घकालिक लाभ क्या होंगे वह कोई अन्य जानकारी नहीं दे पाई।

ब्राज़ील सी डी एम प्रोजेक्टों का चौथा सबसे बड़ा देश है। उसके 207 पंजीकृत प्रोजेक्टों को 2020 तक 320 मिलियन कार्बन केडिट देने हैं। इसमें से 54 विशाल हायड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। विशाल हायड्रो पावर प्रोजेक्टों का बहुत गहरा प्रभाव समाज व पर्यावरण पर पड़ता है। स्थानीय समुदाय और इको सिस्टम पर पड़ने वाला प्रभाव के विषय में भी सब जानते ही हैं। ब्राज़ील में कई सारे बदनाम बॉध भी हैं जिनमें से अधिकतर ऐमेज़ॉन में हैं। वे प्रोजेक्ट जिनका कि स्थानीय जनता के द्वारा विरोध भी किया गया जैसे जिराऊ, सैन्टो एन्टोनियो, टेलेस पायर्स भी अब तक सी डी एम की स्वीकृति के लिए कतार में हैं। ब्राज़ील ने कई औद्योगिक यूकिलिप्टस मोनो कल्चर को भी सी डी एम प्राजेक्टों की तरह स्वीकृत कर दिया है जैसे कि मिनास ग्रेइयास में बदनाम प्लांटार प्रोजेक्ट।

अभी यह देखना बाकी है कि रियो+20 में लिए गए निर्णयों के अनुसार 2015 तक दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य विकसित करने से वर्तमान स्थिति में बदलाव लाने के लिए मज़बूत व बेहतर

सी डी एम व दीर्घकालिक विकास

सी डी एम का दीर्घकालिक विकास को न पाने का एक कारण है सही प्रेरणा की कमी व दूसरा है दीर्घकालिक लाभ न होने कि स्थिति में आर्थिक परिणाम न भुगतना। इसके साथ साथ सही संरक्षण न होने के कारण प्रोजेक्ट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सी डी एम के केस में प्रत्येक देश अपने आप यह तय करता है कि कोई सी डी एम प्रोजेक्ट दीर्घकालिक विकास प्रदान करता है या नहीं। ये प्रोजेक्ट अपने साथ जो लागत लेकर आते हैं उसके चलते मेज़बान देश के हित में होता है कि वह जितने संभव हो उतने सी डी एम के प्रोजेक्ट ले ले। दीर्घकालिक विकास में योगदान किसी भी प्रोजेक्ट के पास होने के निर्णय के लिए बहुत छोटा मुद्दा होता है। इसके बाद भी यदि प्रोजेक्ट दीर्घकालिक विकास देता भी है तो इस बात की जॉच करने के लिए कोई भी प्रणाली प्रयोग में नहीं है।

मानदंड व मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं कि नहीं। जो हमें पता है वह यह है कि कार्बन केडिट के द्वारा उन स्रावों की भरपाई कर पाना जो कि रियो+20 का प्रबन्धन करने में लगे व जिनसे दीर्घ कालिक विकास में कोई योगदान नहीं मिला उनसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। शुरूआत करने का एक चरण वास्तविक प्रेरणा देना व दीर्घकालिक विकास को लागू करना और जॉच के ठोस तरीकों का सख्ती से पालन करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि दीर्घकालिक लाभों को वास्तव में पाया जा सके।

[1] http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&nr=249&type=1000&menu=126

[2] IGES July 2012

[3] The Global CDM Hydro Hall of Shame देखें अर्न्तराष्ट्रीय नदियॉ

चिले में सी डी एम पर एन जी ओ की राउन्ड टेबल

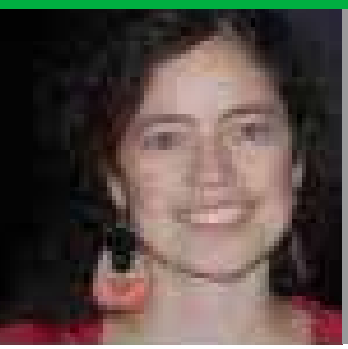

गैब्रियैला टोलेडो रोमन,
कलैटिवो वियेन्टो सुर

18 जुलाई को सी डी एम वॉच व कलैक्टिवो वियेन्टो सुर सैन्टियैगो के हैनरिच बॉल फाउन्डेशन ने चिले में सी डी एम के प्रदर्शन व नए बाज़ार की प्रणालियों पर चर्चा करने के लिए एक भद्र समाज के राउन्ड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया। राउन्ड टेबल के समय एडवार्डो गिसेन व डियेगो मार्टिनेज़ शुट्ज़ ने केस स्टडी प्रस्तुत कीं व राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं जैसे प्रतिकूल प्रेरणाओं व दीर्घकालिक विकास में उनके प्रभाव के समस्याग्रस्त पहलुओं को सामने रखा।

चिले की कई केस स्टडी को देखने से पता लगता है कि सी डी एम के वर्तमान नमूने के कई दुश्प्रभाव हैं जैसे अतिरिक्तता की कमी, कानूनी सुधारों पर प्रभाव, सी डी एम का कूटनैतिक प्रयोग और लाभ पाने वाली कम्पनियों का चलन जो दीर्घकालिक विकास नहीं देता।

पाइपलाइन में 120 प्रोजेक्टों के साथ चिले ब्राज़ील व मेक्सिको के बाद वह तीसरी लैटिन अमरीकन कम्पनी है जिसके पास इस क्षेत्र के अधिकतम प्रोजेक्ट हैं। चिले में सभी प्रोजेक्ट मीडियम या विशाल स्केल के हैं। मीडियम व विशाल स्केल के प्रोजेक्टों में अतिरिक्तता पर प्रश्नचिन्ह होता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा निवेश किया जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन प्रोजेक्टों की योजना पहले से बनी हुई थी व सी डी एम को मिलने वाले लाभ से इनको आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया। उदाहरण के लिए Chacabuquito का हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट व इसके जैसे अन्य बगैर सी डी एम की आर्थिक मदद के अनुमोदित कर दिए गए। चिले में 60 रन ऑफ रिवर हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं और इसी तरह के 96 और प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं (देखेंhttp://www.centralenergia.cl/). The Alto Maipo project की अनुमानित क्षमता 272 मेगावॉट की है। यह देखते हुए कि कार्बन डाय ऑक्साइड का मूल्य प्रति टन कम हुआ है और 700 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ है कार्बन केडिट की बिक्री इसको लागू करने के निर्णय के लिए मान्य नहीं हो सकती।

व्यापारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने प्रभाव से पर्यावरण के मानकों व नियमों को लागू कराने में देरी करें जो किसी क्षेत्र या कार्य में प्रदूषण को तय करते हों। सी डी एम का कार्यान्वन स्वैच्छिक होने के कारण केडिट तभी लिए जा सकते हैं जब स्राव राष्ट्रीय कानूनों से कम हों तो प्रोजेक्ट के स्वामियों के

colectivo VIENTO SUR

कलैक्टिवो वियेन्टो सुर एक बहु विषयक संस्था है जो एक दीर्गकालिक व स्वतन्त्र समाज के निर्माण को सहयोग देती है। इस संस्था का ढॉचा समस्थान है जो आड़े तिरछे कार्य करके एक सम्पूर्ण तरीके से चिले में फैले क्षेत्रों में काम करती है। कृप्या देखें :http://colectivovientosur.wordpress.com/

लिए यह आसान होता है कि वे नियम कानून को कमज़ोर कर दें।

राउन्ड टेबल के दौरान भाग लेने वालों ने गढढा भराव व चिले में मीथेन पाए जाने पर भी चर्चा की। मीथेन के इलाज के लिए एक अनिवार्य मानक को भी लागू करना था पर गढढा भराव को सी डी एम से फायदा हुआ था इसलिए इस मानक को लागू करने में देरी हो रही है। आज यह केवल कम्पनियों की ओर से एक स्वैच्छिक कार्य बन कर रह गया है। वे गढढा भराव के प्रोजेक्ट जिन्हें सी सी डी एम से लाभ हुआ वे हैं लिपैन्टो लैन्डफिल, एल मोले, कोपियूलेमू, बायोगैस चिले इन्वेस्टमेन्ट व अन्य।

सी डी एम का एक और प्रयोग चिले में तब देखा गया जब सी डी एम सर्टिफिकेशन का प्रयोग कुछ व्यापारों की पर्यावरण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किया गया कि ये दीर्घकालिक हैं और यही लोगों की सामूहिक सोच है। हालांकि कम्पनी केवल सी डी एम स्कीम के अन्तर्गत पर्यावरण के हित वाले प्रोजेक्टों को ही लेती है। उदाहरण के लिए एग्रो सुपर एक सी डी एम प्रोजेक्ट पंजीकृत कराता है जो कि द्रव्य कूड़े के **5** प्लांटों से मीथेन निकालता है। हालांकि यह इन तरीकों को पुन: लागू नहीं करता जो कि हमने फ्रेरिरीना में मई **2012** की लड़ाई में देखा है जहाँ सूअरों के फार्म से ज़हरीली गैसों का रिसाव हुआ था।

भाग लेने वालों ने सी डी एम के अदीर्घकालिक तरीकों के साथ रहने पर भी चर्चा की। इस अवस्था पर प्रणाली में एक ऐसा दोष है जो अन्य सर्टिफिकेशन प्रणालियों के संदर्भ में भी है और वह है कि जॉच केवल जी एच जी घटाने के लिए है न कि सामाजिक व पर्यावरण प्रभावों के लिए। साथ साथ जहाँ किसी एक प्रोजेक्ट के दुशप्रभाव या जो होने चाहिएँ उसके विपरीत प्रभाव न हो रहे हों परन्तु ऐसे केस भी होते हैं जहाँ इन प्रोजेक्टों के बाहर के कार्यो के लिए भी लाभान्वित होने वाली कम्पनी की उसके पर्यावरण व सामाजिक दुष्प्रभावों के लिए निन्दा की जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ हमें ओराउको कम्पनी की याद आती है जिसके सी डी एम प्रोजेक्ट बायोमास से ऊर्जा का उत्पादन करने को उस क्षेत्र में काफी अधिक सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा जो चिले के इतिहास में बहुत ज़ोर शोर से हुआ पर्यावरण विरोध था और वह था वैलदीवा में हंसों की मौत।

प्रणाली का या तो नवीनीकरण होना चाहिए या उसे एक ऐसी प्रणाली से बदला जाना चाहिए जो स्वच्छ तकनीकों में बदलाव को सीधे व कारगर तरीके से लेकर आए और जहाँ अतिरिक्तता लगातार चिंता का विषय न रहे

अन्त में राउन्ड टेबल में भाग लेने वालों, जो अधिकतर एन जी ओ थे, ने कहा कि आर्थिक तौर पर छोटे व्यापार व समाज के लिए सी डी एम के प्रोजेक्ट को विकसित करने के प्रयास करना बहुत कठिन है। इसके साथ साथ **1** टन कार्बन डाय ऑक्साइड बहुत सस्ती है और राउन्ड टेबल के एक भावी प्रोजेक्ट चलाने वाले के अनुसार वर्तमान में उनके विकास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

इस बात पर ध्यान दिया गया कि चिले में सी डी एम प्रोजेक्ट से सम्बन्धित अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि डिजाइन व उसे लागू करने की समस्याएँ हैं व छोटे प्रोजेक्टों के लिए बड़ी बाधाएँ हैं और चिले के संदर्भ में अभी भविष्य की आशा कम दिखाई दे रही है। अन्त में हमने यह तय किया कि प्रणाली में सुधार होना चाहिए या उसे बदला जाना चाहिए ताकि ऐसे तरीकें आएँ जो कि साफ तकनीकों को सीधे व कारगर तरीके से लागू कर सकें व जहाँ अतिरिक्तता लगातार एक चिंता का विषय न बने।

स्थानीय साझेदारों से चर्चा परीक्षण

हमारे नेटवर्क के सदस्य गुजरात फोरम ऑन सी डी एम एन्ड ट्रान्स्पेरेन्शिया मेक्सिकाना ने भारत व मेक्सिकों में स्थानीय साझेदारों से चर्चा की जॉच की। उनके नतीजों से यह सिद्ध हुआ है कि विशिष्ट गाइडलाइनों व नियमों के अभाव में चर्चा की प्रकिया अक्सर नकली, अपर्याप्त व अधूरी होती है। मज़बूत व बेहतर गाइडलाइन के लिए कई सुझाव दिए गए हैं परन्तु सी डी एम में जनता के साथ सही चर्चा की कमी अब भी बरकारार है।

Detective: courtesy of thefamousfrugalista

स्थानीय साझेदारों से चर्चा - क्या केवल एक औपचारिकता?

फाल्गुनी जोशी, गुजरात फोरम ऑन सी डी एम

Tickbox: cc Daniel*1977

सी डी एम के कुल प्रोजेक्टों में से करीब एक चौथाई भारत में हैं। ये गिनती में अभी तक 857 हैं। संख्या से एक यह एक प्रगतिशील कहानी लगती है परन्तु इन प्रोजेक्टों से प्रभावित होने वाले लोग - स्थानीय साझेदार - अब भी उपेक्षित हैं।

सी डी एम प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले साझेदार स्थानीय समाज के होते हैं। प्रोजेक्टों के कारण लोगों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विस्थापन होता है व इसके पर्यावरण पर विनाशकारी असर भी हो सकते हैं जिनसे अधिकतर केसों में जनता के साथ एक गम्भीर चर्चा के द्वारा शुरूआती स्तर पर मुद्दों को सुलझा कर बचा जा सकता है। परन्तु चर्चा के लिए की जाने वाली ये मीटिंगे केवल आपचारिकता मात्र के लिए की गई लगती हैं।

पी डी डी को तैयार करते समय प्रोजेक्ट के प्रस्तावकों को एक स्थानीय साझेदारों की चर्चा रखनी पड़ती है जहॉ पर उन्हें प्रोजेक्ट की जानकारी दी जाती है व उसके प्रभावों के विषय में बताया जाता है। परन्तु अनुभवों से पता लगता है कि स्पष्ट गाइडलाइन न होने व समर्पित अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह चर्चा की प्रकिया का पालन अधिकतर ठीक प्रकार से नहीं होता है। हमने भारत में स्थानीय साझेदारों से चर्चा की प्रकिया किस तरह की जाती है इसका निरीक्षण किया। कई प्रकार के पी डी डी का फील्ड अनुसंधान व विश्लेषण करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि:

- **जनता को दी जाने वाली सूचना बगैर सही स्थान, समय, सम्पर्क व्यक्ति की जानकारी के देना** लगभग सभी जनता के साथ चर्चा में होना एक आम बात है। इस महत्वपूर्ण सूचना के न दिए जाने से प्रोजेक्ट के प्रस्तावक आसानी से गॉव वालों के मीटिंग में भाग लेने से बच जाते हैं।
- यदि किसी प्रकार गॉव वालों को मीटिंग के विषय में पता चल भी गया तो **उसका एग्ज़िक्यूटिव सार इस प्रकार की भाषा (अक्सर अंग्रज़ी में) में तैयार किया जाता है कि वह गरीब व अनपढ़ गॉव वालों**

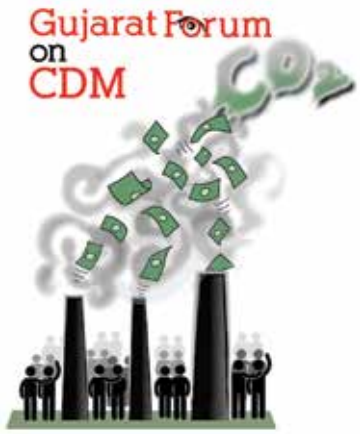

गुजरात फोरम व्यक्तियों व संस्थानों का एक नेटवर्क है जो पर्यावरण के मुद्दों पर काम करता है। यह फोरम विशेयकरगुर्ज रात, भारत के सी डी एम प्रोजेक्टों की निगरानी करता है।

की समझ के बाहर होता है। जो जानकारी दी जाती है वह भी सब बेकार के मुद्दों को सामने लेकर आती है व उन मुख्य मुद्दों को साफ तौर पर प्रकट नहीं करती जो कि साझेदारों के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं।

- मज़े की बात यह है कि **रिपोर्ट हमेशा हरेक प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी सकारात्मक टिप्पणियों से भरपूर होती है व उसमें रिपोर्ट के ऊपर एक भी बुरी आलोचना नहीं होती।**

यह स्पष्ट है कि जनता की चर्चा केवल एक ऐसी मीटिंग होकर रह जाती है जहाँ 'जनता की उपस्थिति' केवल कम्पनी के कुछ सहयोगियों की उपस्थिति तक ही सीमित है। जनता को दिए जानी वाली सूचनाओं में जान बूझ कर मीटिंग का स्थान नहीं बताया जाता व इन्हें कई घंटे देरी से भी आरम्भ किया जाता है। इन ढीली ढाली व निष्फल मीटिंगों पर आधारित रिपोर्ट फिर पी डी डी के लिए जमा कर दी जाती हैं जो कि कम्पनी को मिलने वाले कार्बन केडिट का आधार बनती हैं।

वह प्रणाली जो कि सबके लाभ को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, एक सूचना का अधिकार जो जनता के लिए था वह केवल सी डी एम के प्रोजेक्ट के दस्तावेज़ों की चमकीली कहानियों के नीचे शर्मनाक तरीके से कहीं दब कर रह गया है। इस हानिकारक चलन को बन्द करने के लिए कुछ ठोस व गम्भीर कदम उठाने की आवश्यकता है:

- सम्बन्धित प्रोजेक्ट दस्तावेज़ व जनता के लिए दी जाने वाली सूचना को एक **आसानी से समझने योग्य स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाना चाहिए।**
- अधिसूचना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि साझेदारों को अपने जनता **के लिए चर्चा के अधिकार की जानकारी** मिले।
- कार्बन केडिट की बिक्री में गॉव वालों के 2 प्रतिशत हिस्से की शर्त के विषय में जनता को बताना आवश्यक हो (भारतीय पी सी एन का 27वॉं पॉइन्ट)
- स्थानीय साझेदारों को इस **निर्णय में भाग लेने का अधिकार** होना चाहिए कि कार्बन केडिट से कमाए हुए उनके हिस्से **के धन का उपयोग किस प्रकार किया जाए।**
- **जनता के लिए चर्चा के नोटिस को कम से कम दो** अखबारों में छपना चाहिए जिसमें से एक स्थानीय भाषा का हो ताकि जानकारी सही प्रकार से फैल जाए।
- **जनता की चर्चा का वीडियो बनाना अनिवार्य होना चाहिए** व साझेदारों की चर्चा के वीडियो को वैलिडेशन की अवधि के दौरान अपलोड किया जाना चाहिए।
- पी डी डी में जिन सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण व तकनीकी प्रभावों का ज़िक हो उन्हें एक सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए ताकि वह स्थानीय लोगों की समझ में आसानी से आ सके।

इन तरीकों से न केवल स्थानीय साझेदारों की चर्चा की प्रक्रिया में एक पारदर्शिता आएगी परन्तु यह इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक संख्या में साझेदार इस प्रक्रिया में कारगर तरीके से भाग ले सकें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना कम होगी व स्थानीय लोगों की प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में भागीदारी होगी व आगे चल कर प्रोजेक्ट से होने वाले दीर्घकालिक लाभों में बढ़ोत्तरी भी होगी। इससे सी डी एम प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भी पूरा होगा जो कि है "सबका विकास व सबकी सुरक्षा"।

गुजरात की दो केस स्टडी

फतेहपुरा, तालुका दसादा, सुरेन्द्रनगर ज़िले, गुजरात में **Grid Connected Solar Photovoltaic Power Project by M/s EMCO Limited** है। अखबार में दी गई जनता की एक सूचना के अनुसार जनता के साथ चर्चा के लिए मीटिंग शाम को चार बजे अदारियाना गॉव में 18 अप्रैल 2011 को रखी गई। जनता के लिए दी गई सूचना को देखकर गॉव वालों ने सूचना में दिए गए टेलिफोन नम्बर पर सम्पर्क किया (यह बगैर किसी व्यक्ति के नाम या पते के दिया गया एक नम्बर था) ताकि वे प्रोजेक्ट का पी डी डी (प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट) ले सकें जो कि उनमें से किसी को भी नहीं दिया गया था।

जनता की सुनवाई के दिन मीटिंग तय समय से एक घंटा देरी से शुरू हुई और जो गॉव वाले मीटिंग में भाग लेने व अपनी चिंताएँ प्रकट करने आए हुए थे उनको जाने के लिए या बैठ कर केवल सुनने के लिए कह दिया गया। जब गॉव वालों ने लिखित में अपनी शिकायतों को दर्ज कराने का प्रयत्न किया तो उस दस्तावेज़ को लेकर स्वीकार करने व उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। इसके बाद यह मीटिंग आद्योगिक पार्टी के 5 सहयोगियों के साथ चलती रही।

यदि आप इस प्रोजेक्ट के पी डी डी का सेक्शन ई देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सोची समझी व अच्छी तरह से लिखी गई रिपोर्ट में ये बातें छिपाई गई हैं।

मेज़ प्रोडक्ट, काठियावाड़, अहमदाबाद के बायोगैस के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न करने व बेकार जोने वाली गर्मी से भाप बनाने के प्रोजेक्ट की स्थानीय साझेदारों की चर्चा में जनता के लिए अधिसूचना अंग्रेज़ी अखबार 'इन्डियन एक्सप्रेस' में 24/12/2008 को छापी गई। बायोगैस के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न करने व बेकार जोने वाली गर्मी से भाप बनाने के सी डी एम प्रोजेक्ट पर जनता की चर्चा 26/12/2008 को होने वाली थी। जनता के लिए दी गई सूचना में इसके होने के स्थान व सम्पर्क व्यक्ति का कोई ज़िक नहीं किया गया था। जब स्थानीय संस्थान पर्यावरण मित्र ने प्रोजेक्ट प्रस्तावकों से अधिक सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो उन्हें यह जानकारी दी गई कि नोटिस में स्थान व अन्य विवरणों का न दिए जाना केवल एक भूल थी और इसके बाद प्रोजेक्ट के प्रस्तावकों को एक बार फिर से इन सुधारों के साथ सूचना को जारी करना पड़ा।
यहॉं पर बचाव के निम्न रास्ते सामने आए :

- किसी भी समाचार पत्र में विज्ञापन का न दिए जाना व स्थानीय प्रभावित क्षेत्रों में विस्तृत घोषणा का न किए जाना।
- केवल कम्पनी में कार्य करने वालों का ही उपस्थित होना
- यह 30 मिनट की एक चर्चा थी जो कि पर्याप्त समय न नहीं
- साझेदारों को पी डी डी व कॉन्सेप्ट नोट नहीं दिया गया था

उपयुक्त चर्चा के अभाव में गॉव वालों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला और वे भविष्य की वे योजनाएँ जो कि उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं व कभी कभी तो उन्हें उनके स्थानीय गॉव से विस्थापित भी कर सकती हैं, उ सके विषय में भी अनभिज्ञ रहे।

Maize Products Ltd.
P.O. Kathwada, Ahmedabad-382430
Phone : 079-2290 1414

Clean Development Mechanism Project

Maize Products (A Divison of Sayaji Industries Ltd.), a leading starch manufacturing industry in the state of Gujarat is developing a Clean Development Mechanism (CDM) project on "**Utilization of Biogas for power generation and waste heat for steam generation at Maize Products, Kathwada, Ahmedabad.**"

The company has taken initiative towards mitigating the impact of climate change through the development of CDM project with the use of alternative less Green House Gas (GHG) emitting fuel. The project activity results in :

1. Reduction in GHG emissions and abatement of environmental pollution by consumption of Biogas for power generation and waste heat for steam generation at Industrial facility.
2. Lowering of local pollutants like SPM, SOx, NOx and CO.
3. Increasing awareness on use of alternative fuels.
4. Improving work environments & help bring sustainability.

Venue :

Date of meeting : 26-12-2008 Time : 8.30 to 9.00 a.m.

मेक्सिको का यथार्थ - सी डी एम में भाग लेने वाले कौन?

एडुआर्डो बेहोरोक्वेज़ व ब्रूनो ब्रैनडाओ, ट्रान्सपेरेन्सिया मैक्सिकाना (ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनैशनल का राष्ट्रीय चैप्टर)

cc Mike Licht, NotionsCapital.com

ट्रान्सपेरेन्शिया मेक्सिकाना ने इस बात का विश्लेषण किया कि कैसे मैक्सिको के सभी सी डी एम प्रोजेक्टों के प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट स्थानीय साझेदारों की चर्चा के विषय में बताते हैं। परिणामों से पता चला कि नियमों और गाइडलाइनों के अभाव के कारण चर्चा की प्रकिया की गुणवत्ता, परिणामों की रिपोर्ट देना, साझेदारों के बीच बचाव करके मेक्सिको में सी डी एम प्रोजेक्टों को मंजूरी देने व उनका सत्यापन करने की प्रकिया प्रभावित हो जाती है। इस स्टडी से यह भी पता लगता है कि यह पूछना भी बहुत ज़रूरी है कि इस चर्चा में कौन भाग लेगा - अर्थात किस प्रकार के साझेदारों को सुना जाएगा।

TRANSPARENCIA MEXICANA

ट्रान्सपेरेन्सिया मेक्सिकाना (टी एम) 1999 में ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनैशनल (टी आई) जो कि भष्टाचार के खिलाफ एक अर्न्तराष्ट्रीय संगठन है, उसके राष्ट्रीय चैप्टर के रूप में संस्थापित हुआ। टी एम भष्टाचार पर एक सम्पूर्ण रूप से प्रहार करता है जिसमें वह निजी व सार्वजनिक दोनों पक्षों को भष्टाचार कम करने के लिए जोड़ता है। ऐसा वह मेक्सिको के कानूनी व संस्थागत ढाँचों में बदलाव लाकर करने का प्रयास करता है।

क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़्म की अक्सर उसके उचित जनता की परिचर्चा न होने के लिए आलोचना की जाती है। अक्सर यह कहा जाता है कि विशिष्ट गाइडलाइन व नियमों के अभाव में चर्चा की अपर्याप्त, अनुचित या कभी कभी नकली प्रकिया की जाती है। हालांकि ये आलोचनाएँ अक्सर कुछ धारणाओं या कुछ केसों के अनुभवों पर भी आधारित होती हैं। इस वाद विवाद के वृहद व आधिकारिक ऑकड़े हालांकि उपलब्ध नहीं हैं।

ट्रान्सपेरेन्शिया मेक्सकाना ने इस मुद्दे का निवारण करने व कई केसों से आधिकारिक सबूत जुटाने के लिए एक अनुसंधान कार्यक्रम को स्थापित करने का निर्णय लिया। यह अनुसंधान Transparency International's Climate Governance Integrity Programme का एक भाग है व इसका उद्देश्य सी डी एम प्रोजेक्टों से प्रभावित लोगों के आपस में सम्बन्ध व आदान प्रदान समझना है। भष्टाचार के क्षेत्र में दस वर्षों तक काम करने के बाद हमने यह समझा है कि अखंडता पर खतरे संस्थानों के गुणों के कारण भी उतने ही होते हैं जितने कि वे आदान प्रदान व सम्बन्धों के कारण जो इन संस्थानों ने स्थापित किए हैं। इस नए अनुसंधान कार्यक्रम की पहली किया में हमने मेक्सिको में बने सी डी एम प्रोजेक्टों के डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट (पी डी डी) की सम्पूर्णता का विश्लेषण किया (जून 2012 जब ये अनुसंधान प्रारम्भ हुआ तब पंजीकृत, नामंजूर व पुनिरीक्षण में और हटाए गए कुल मिलाकर 150 पी डी डी थे)।

इस स्टडी ने मेक्सिकों में सी डी एम प्रोजेक्टों में जनता की चर्चा से सम्बन्धित तीन प्रमुख सवालों का निवारण किया:

1) चर्चा की प्रकिया कैसे संचालित की जाती है?
2) पी डी डी में चर्चा की प्रकिया के नतीजे कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं?
3) चर्चा की प्रकिया प्रोजेक्टों के स्वीकारे जाने व सत्यापन को कैसे प्रभावित करती है?

इन शुरूआती नतीज़ों से पता चलता है कि सही नियमों व गाइडलाइनों के अभाव में चर्चा की प्रकिया में ,नतीजों की रिपोर्ट देने व मेक्सिको के सी डी एम प्रोजेक्टों को जारी करने व सत्यापित करने की गुणवत्ता में कमी आती है। हमारी स्टडी आधिकारिक ऑकड़ों के साथ सी डी एम की चर्चा की प्रकिया के सम्बन्ध में की जा रही आलोचनाओं का जवाब देती है। हालांकि इस स्टडी के ऑकड़े इससे कहीं अधिक करने की क्षमता रखते हैं। केवल यह दिखाने से कि चर्चा की प्रकिया वास्तव में कैसे की जाती है वे इस बात पर भी मार्गदर्शन कर सकती है कि साझेदारों के बीच यह प्रकिया से किस प्रकार का आदान प्रदान शुरू हो सकता है।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि ट्रान्सपेरेन्सिया मैक्सिकाना इस सिद्धान्त पर काम करता है कि अंखडता के विश्लेषण को न केवल संस्थानों की गुणवत्ता पर प्रकाश डालना चाहिए परन्तु इन संस्थानों के द्वारा बनाए गए सम्बन्धों व आदान प्रदानों पर भी। हालांकि हम अभी इन नतीजों को पूरी तरह गहरा विश्लेषण करके सत्यापित नहीं कर सकते परन्तु यह कहना ज़रूरी है कि कमी लाने के तरीकों की मॉग तभी होती है जब चर्चा में विशिष्ट अधिकारी गण भाग लेते हैं व स्थानीय समाज के साथ आदान प्रदान करते हैं। कम करने की प्रार्थनाएँ मुआवज़े की प्रार्थनाओं में जनता के सी डी एम प्रोजेक्टों के विषय में ज्ञान व समझ को अधिक दर्शाती हैं।

हमारा मानना है कि जनता के अलग अलग तबकों के बीच आदान प्रदान चर्चा की प्रकिया के नमूने को तैयार करने का एक अहम हिस्सा है। चर्चा से प्रभावित हुए स्थानीय समाज, शिक्षाविदों, मीडिया, अधिकारी (विशेषकर विशिष्ट संस्थाएँ), प्रोजेक्ट के विकासकर्त्ता व सलाहकारों के बीच होने वाले आदान प्रदान बनते व बढ़ते हैं। इस तरीके से इसके द्वारा सूचना व जानकारी को विभिन्न दिशाओं में फैलाया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से न केवल स्थानीय समुदाय को विशेषज्ञों से सीखने से लाभ होगा वरन् इसका उल्टा भी हो सकता है। यह भी देखा गया है कि शिक्षाविद, मीडिया, सार्वजनिक अधिकारियों को स्थानीय समाज के इस आदान प्रदान से अपने विश्लेषण के लक्ष्य के बारे में अपनी सोच का एक नया पहलू दिखाई देता है।

इसके साथ साथ विशिष्ट प्रकार के साझेदारों के बीच होने वाले आमने सामने से रूचियों का एक साथ आना भी हो जाता है व ऐसी जोड़ियाँ बन जाती हैं जिनके द्वारा कड़ी के कमज़ोर हिस्सों की भी लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इस आमने सामने का यह अर्थ नहीं होता कि चर्चा की प्रणाली विशिष्ट लोगों की खास ज़रूरतों व कुछ लोगों की ज़रूरी भागीदारी को अनदेखा कर दे। चर्चा प्रणाली के नमूने को विभिन्न लोगों की असमान क्षमताओं को ध्यान में रख कर इन अनियमितताओं को कम करने का उद्देश्य बनाना चाहिए।
अक्सर इन असमानताओं के कारण धोखेबाज़ी व शोषण भी हो जाता है व इस प्रकार के व्यवहार से बचना मुश्किल हो जाता है। **हालांकि एक उचित चर्चा प्रणाली जिसके माध्यम से जनता के अलग अलग तबके एक साथ आ सकें वह भागीदारी के एक संस्थागत स्तर पर धोखेबाज़ी व शोषण को सामने लाने में कामयाब हो सकती है।**

अनुसंधान के शुरूआती मुख्य नतीजे:

साझेदारों के साथ चर्चा व उसका डिज़ाइन (नमूना) प्रोजेक्ट के विकासकर्त्ताओं व सलाहकारों की मर्ज़ी पर निर्भर करता है: सबसे प्रचलित चर्चा का प्रकार जनता को जमा करने वाला होता है (**31** प्रतिशत) परन्तु ऐसे प्रोजेक्टों के केस भी होते हैं जिनमें सीधे इन्टरव्यू (**3** प्रतिशत), सर्वे (**2** प्रतिशत) व टिप्पणी के लिए फोन (**3** प्रतिशत)। हालांकि ज़्यादातर केसों में (**61** प्रतिशत) चर्चा के इन सभी तरीकों के मिश्रण का प्रयोग किया गया।

निणर्यों की रिर्पोटिंग व चर्चा की विशेषताएँ अक्सर निम्न क्वालिटी की होती हैं: प्रोजेक्टों में से केवल **64** प्रतिशत ही उपस्थित लोगों की सूची (या फोन पर भाग लेने वालों) का ब्यौरा देते हैं। इनमें से केवल **45** प्रतिशत पी डी डी में इस सूची को संलग्न करते हैं। इसके साथ मीटिंग के मिनिट्स को केवल **27** प्रतिशत ही लेकर रखते हैं, केवल एक ही केस में हस्ताक्षर किए गए मिनिट्स रखे हुए पाए गए हैं व वास्तव में कोई भी इन्हें प्रस्तुत या संलग्न नहीं करता। अन्त में केवल **50** प्रतिशत दस्तावेज़ों में ही चर्चा में पूछे गए प्रश्नों का ब्यौरा होता है।

बहुत कम दस्तावेज़ों में जनता द्वारा की गई प्रार्थनाओं का ब्यौरा होता है: मुआवज़े के **10** प्रतिशत व कम करने की **7.3** प्रतिशत प्रार्थनाएँ ही दर्ज हैं। यह कई कारणों की वजह से हो सकता है: टिप्पणियाँ देने के लिए अपर्याप्त या कम तरीके, जनता को यह स्पष्ट न होना कि उनके भाग लेने का अर्थ केवल प्रश्न पूछना या टिप्पणी करने तक ही सीमित नहीं है परन्तु वे अपनी मॉगें भी प्रस्तुत कर सकते हैं। साझेदारों के पास प्रोजेक्ट से सम्बन्धित पर्याप्त जानकारी नहीं होती जिससे वह उस समय भविष्य के परिणामों के बारे में सोच सकें।

cc:thefamousfrugalista

सुझाव

सी डी एम की चर्चा प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि एक कानूनी तरीका बन सके और स्टडी के परिणामों से यह पता चलता है कि नियम/मार्गदर्शन का अभाव है व तुरन्त सुधार की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट के प्रकार व सौदे की लागत को सी डी एम प्रकिया के नए नियम व मार्गदर्शन को बनाने के लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी यह हमारा मानना है कि अपने उद्देश्य को वास्तव में पूरा करने के लिए सी डी एम की चर्चा प्रकिया को एक ऐसा मंच मानना चाहिए जहॉ आकर अलग अलग प्रकार की रूचियॉ व ज्ञान एक साथ मिलते हैं।

- ट्रान्सपेरेन्शिया मेक्सिकाना यह समझता है कि अखंडता का खतरा संस्थानों व आदान प्रदान दोनों के गुणों व संस्थान के द्वारा स्थापित सम्बन्धों के कारण होता है।

मेक्सिको में सी डी एम के कूड़ा प्रबन्धन प्रोजेक्ट

जॉर्ज तादेव वार्गस,राइज़िंग टाइड मेक्सिको,मेम्बर ऑफ द ग्लोबल अलायन्स फॉर इन्सिनेरेटर ऑल्टरनेटिव्स (जी ए आई ए)

पिछले दो वर्षों में मेक्सिको में सी डी एम के अन्दर कूड़ा प्रबन्धन को बहुत अधिक महत्ता दी जा रही है जो कार्बन बाज़ार के किसी भी अन्य प्रोजेक्ट के प्रकार से अधिक है। हालांकि इससे समाज के अति संवेदनशील तबके को कोई लाभ नहीं पहुँचा है। इसके विपरीत प्रोजेक्टों ने समुदाय के स्तर पर कूड़ा प्रबन्धन को महत्व नहीं दिया है व पुनचक्रण करने वालों की जीविका को ललकारा भी है। गढ्ढों को बन्द कर दिया गया है व कूड़े को सीमेन्ट के उद्योग में ईंधन की तरह प्रयोग किया गया है व कार्बन बाज़ार में प्रवेश के लिए ऊर्जा का उत्पादन किया है। यह लेख इसी विचारधारा के प्रभावों पर नज़र डालेगा।

मेक्सिको की म्यूनिस्पिलिटी में अक्सर कूड़ा प्रबन्धन के कोई कार्यक्रम पुनचक्रण सेन्टर व अलग अलग कूड़ा जमा करने के साधन नहीं होते। इसका अर्थ यह हुआ कि गढ्ढों का जीवन चक्र भी सीमित होता है जिसके अन्त में वे केवल गैस का शोषण करने वाला गढ्ढा बन कर रह जाते हैं। यहाँ पर सी डी एम की भूमिका आती है। जब कूड़े के गढ्ढों को बायोगैस निकालने के लिए बन्द कर दिया जाता है और कूड़े को जलाया जाता है तो जो समुदाय अपनी जीविका पुनचक्रण करने लायक चीज़ों को जमा करके कमाते हैं उनकी आय का ज़रिया समाप्त कर दिया जाता है। प्रशासन मुश्किल से ही इन्हें दोबारा मदद करने को आगे आता है। गढ्ढों को बायोगैस व अन्य ऊर्जा के स्त्रोतों को पाने के लिए बन्द कर देने से समाज के स्वास्थ्य व पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। न केवल औपचारिक व अनौपचारिक पुनचक्रण करने वालों की जीविका चली जाती है परन्तु उन्हें प्रदूषित मिट्टी व वॉटरशेड और कूड़े के जलने से उत्पन्न गैसों के मिश्रण के दुष्प्रभावों से भी जूझना पड़ता है। मेक्सिको के अन्य समुदाय सीमेन्ट उद्योगों में कूड़े को एक साथ उत्पादित करने के चलन से भी प्रभावित होते हैं व इसका आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इस चलन में लगी हुई कम्पनियाँ भी इसे फौसिल फ्यूअल के विकल्प के रूप में प्रयोग कर रही हैं व इस तरह वे सी डी एम से लाभ लेकर कमाई बढ़ा सकती हैं।

देश में कई ठोस कूड़ा प्रबन्धन के प्रोजेक्ट हैं, 14 लैन्डफिल गैस के प्रोजेक्ट व 10 सीमेन्ट के उद्योग में कूड़े का प्रबन्धन करने के प्रोजेक्ट हैं। कुछ प्रोजेक्ट अभी शुरूआती चरण में ही हैं परन्तु अभी से ही उनका व्यापी नकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है जैसे कि पहले का 'बोर्डो पोनियन्टे' प्रोजेक्ट।

बोर्डो पोनियन्टे लैन्डफिल प्रोजेक्ट, मेक्सिको सिटी

दिसम्बर 2011 तक बोर्डो पोनियन्टे लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा लैन्डफिल प्रोजेक्ट था। अपने बन्द होने तक यह रोज़ 12 हज़ार टन का ठोस म्यूनिस्पिल कूड़ा प्राप्त करता था। 4 हज़ार टन का ऑर्गेनिक कूड़े का प्रक्रमण कम्पोस्ट प्लांट में होता है जहाँ उन्हें शहर के पार्कों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आठ टन को उन गढ्ढों में भेजा जाता है जहाँ अनौपचारिक कूड़ा एकत्रित करने वाले उस सामग्री को जमा करते हैं जिनका अब भी बाज़ार में पुनचक्रण किया जा सकता है। इस चलन से करीब 15000 परिवारों की जीविका चलती थी जिन्होंने इन गढ्ढों के बन्द होने के बाद अपनी आमदनी से हाथ धो दिया है।

मेक्सिको की सरकार ने बगैर ज़्यादा सामाजिक व पर्यावरण के मुद्दों के विषय में सोचे समझे बोर्डो पोनियन्टे प्रोजेक्ट को बन्द कर दिया ताकि बेकार गैस का प्रयोग किया जा सके व सी डी एम की मदद ले जा सके। यह उस कम्पनी को सीधा लाभ देगा जिसे लैन्डफिल की गैस की खोज के लिए रियायत दी जाएगी। पहले के बोर्डो पोनियन्टे लैन्डफिल पर यह प्रोजेक्ट अभी शुरू होने की कगार पर है व जैसे ही किसी कम्पनी को ठेका मिलेगा यह आने वाले कुछ महीनों

gaia

जी ए आई ए 600 जनसाधारण समूहों (ग्रास रूट्स ग्रूप्स), गैर सरकारी संस्थानों व व्यक्तियों का 93 देशों में फैला हुआ एक अर्न्तराष्ट्रीय गठबन्धन है जिसका परम उद्देश्य एक निष्पक्ष व ज़हर रहित दुनिया का निर्माण करना है जो जलाने की किया से मुक्त हो।
www.no-burn.org

में सी डी एम की कोजेक्ट चक्र में आ जाएगा। एक अन्य प्रोजेक्ट ट्रान्ज़िशनल सीमेन्ट कम्पनी सी ई एम ई एक्स की भट्टियों को प्रति रोज़ आठ हज़ार टन कूड़े के निस्तारण के लिए प्रयोग करेगा। इससे उत्पन्न हुई ऊर्जा को औद्योगिक प्रयोग के लिए दे दिया जाएगा। सी डी एम में इसकी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन अभी दी हुई है इन प्रोजेक्टों के गम्भीर असर देखे जा सकते हैं। गढ्ढे को बन्द करने का निर्णय बगैर एक वैकल्पिक कूड़ा प्रबन्धन की योजना बनाए कर दिया गया था व इसके फलस्वरूप शहर की गलियों में कूड़े की समस्या खड़ी हो गई थी। इससे उधार के **300** मेक्सिकन पीसो (करीब **20** यूरो) कूड़ा निस्तारण के लिए सीमेन्ट प्लांट पर चढ़ गए जो कि प्रति टन कूड़े को उनकी भट्टियों में जलाने के लिए देने थे।

कूड़ा प्रबन्धन चोर सिपाही का खेल बन कर रह गया है जहाँ पर उन स्थानों को देखना होता है जहाँ पर अतिरिक्त कूड़ा डाला जा सके ताकि वह सी ई एम ई एक्स न पहुँच पाए। यह मेक्सिको व पास की म्यूनिस्पिलिटियों के अन्य लैन्डफिलों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। कूड़ा प्रबन्धन के वर्तमान तरीके कूड़ा उठाने वालों की भूमिका की अनदेखी करते हैं। ज़ीरो वेस्ट की योजना को स्वीकृति देने से ऐसा विकल्प मिल सकेगा जो कि पर्यावरण व लोगों दोनो के लिए लाभकारी होगा। इसके विपरीत प्रशासन ने उस प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जो बायोगैस का शोषण व कूड़े को जलाता है जो कि ऐसे तरीके हैं जिनसे लाभ की जगह नकारात्मक असर ज़्यादा होते हैं।

सी ई एम ई एक्स व सी डी एम

केवल मेक्सिकों में ही सी ई एम ई एक्स के तीन प्लांट पंजीकृत हैं व सात अन्य सी डी एम प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता पाने के लिए कतार में लगे हैं ताकि कूड़े में से ईंधन निकाल कर उसे फॉसिल ईंधन के विकल्प की तरह प्रयोग किया जा सके। इस चलन से आस पास रहने वाले लोगों पर कई सारे नकात्मक प्रभाव पड़े हैं जैसे कि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ व इको सिस्टम को नुकसान। सीमेन्ट की भट्टियों में जो रासायनिक मिश्रण बनते हैं वह बहुत ही खतरनाक होते हैं जिनमें डायऑक्सिन्स व फ्यूरन्स के साथ साथ कई अन्य ज़हरीले पदार्थों की भी मिलावट होती है। जहाँ कि ये प्रोजेक्ट मान्यता के इन्तज़ार में हैं इन बेकार चीज़ों का निस्तारण कम्पनी के लिए व्यापार का ज़रिया भी होता है। व्यापारी व म्यूनिसिपैलिटी दोनों ही इस व्यर्थ सामान के प्रबन्धन के लिए अच्छा खासा पैसा देने को तैयार हैं हमें लगता है कि सी डी एम केवल इस केक पर लगने वाली चेरी की तरह है जिसे वह ऐसे मेकअप की तरह प्रयोग करते हैं जिससे उनके चलन से हुए नकारात्मक प्रभावों को ढका जा सकता है। आसपास रहने वाले लोगों के मन में इन प्रोजेक्टों के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है और वे अपने आप को संगठित करके कूड़ा जलाने पर रोक लगाने व सीमेन्ट की भट्टियों में कूड़े का निस्तारण एक साथ न करने की माँग कर रहे हैं।

लाभ के बगैर सामाजिक-पर्यावरण की अधिक लागत

मेक्सिकों में सी डी एम से जुड़े हुए सभी सेक्टरों का विश्लेषण करने के बाद हमने यह देखा कि कार्यान्वित होने वाले अधिकतम प्रोजेक्ट औद्योगिक स्तर के हैं जिनके द्वारा स्थानीय समुदायों को कोई भी लाभ नहीं पहुँचता। इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि ये उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। कूड़े के प्रबन्धन का केस अनुकरणीय है क्योंकि उसके एक साथ चलने वाले दो पहलू हैं - गढ्ढों को बायोगैस निकालने के लिए बन्द करना व सीमेन्ट की भट्टियों में कूड़ा जलाना। यहाँ पर सी डी एम केवल उन चलनों को बढ़ावा दे रहा है जो कि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इससे समाज को कोइ भी लाभ नहीं पहुँचता जिन्हें कि अन्त में एक सामाजिक व पर्यावरण के रूप में अधिक लागत देनी पड़ती है। इसके ऊपर से मिलने वाली स्राव में कमी इतनी कम होती है कि ग्रीन हाउस गैसों में अर्थपूर्ण कमी दिखाई दे सके।

Photos cc Mike Licht, NotionsCapital.com

'ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान, कूड़ा जलाए जाने के विषय में मज़बूत पॉलिसियाँ व समाज की भागीदारी है ऐसा विकल्प है जो कि न केवल ग्रीन हाउस गैसों में कमी ला सकता है वरन् समाज को भी एक साफ सुथरा जीवन प्रदान कर सकता है।'

कूड़े से प्राप्त कार्बन केडिट के यथार्थ पर यूरोप जागा

मारियल विलेलैला, क्लाइमेट पॉलिसी कैम्पेनर, ग्लोवल अलायेन्स फॉर इनसिनिरेटर ऑल्टरनेटिव्स (जी ए आई ए)

Courtesy: Gaia

वृहत राजनैतिक विचारधाराओं के यूरोपियन पार्लियामेन्ट के सदस्यों, 23 देशों की भद्र समाज की संस्थाओं व अर्न्तराष्ट्रीय नेटवर्कों ने यूरोपियन कमीशन व सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड को हस्ताक्षर करके एक पत्र दिया है जिसमें यह मॉग की गई है कि वे सभी सी डी एम के सहारे से बने विकासशील देशों के लैन्डफिल गैस सिस्टमों व भट्टियें को निवेश व सहयोग देने पर तुरन्त रोक लगा दें।

कूड़ा निस्तारण के ये सभी प्रोजेक्ट यूरोप की आधिकारिक प्राथमिकता जो कि कूड़े में कमी लाना, पुनचक्रण, दोबारा प्रयोग करना, कूड़ा जलाने से होने वाले ज़हरीले स्रावों को सीमित करना, ऑर्गेनिक कूड़े को गढ्ढों में से यहॉ वहॉ इस्तेमाल करना व ग्रीन हाउस गैसों के स्रावों में कमी लाने को नकारते व कम करते हैं। यदि यूरोप में इन्हें प्रस्तावित किया गया तो ये प्रोजेक्ट वेस्ट फ्रेमवर्क डायरेक्टिव, लैन्डफिल डायरेक्टिव व इन्सीनिरेशन डायरेक्टिव का उल्लंघन करेंगे।

24 मई को वोट के बाद यूरोपियन पार्लियामेन्ट अब पूरी तरह रिसोर्स एफिशियेन्सी रोड मैप के लिए समर्पित है जिसका लक्ष्य है कि सभी सामानों का समुचित उपयोग हो, पुनचक्रण हो या ख़ाद बनाई जाए व बचा हुआ वेस्ट शून्य के जितने नज़दीक संभव हो उतना हो सके। रोडमैप में यह प्रस्तावित है कि धीरे धीरे लैन्डफिलिंग को समाप्त किया जाए व दस वर्षो के भीतर पुनचक्रण लायक व ख़ाद बनाने लायक कूड़े का जलाना ख़त्म हो सके। रोडमैप में यह भी सुझाव दिया गया है कि ई यू से मिलने वाली राशि को कूड़े के चक्र का पालन करना चाहिए व पुनचक्रण में निवेश करना चाहिए न कि फेंकने में।

इन्हीं सब कारणों की वजह से एम ई पी व भद्र समाज का कहना है कि यूरोपियन कमीशन व ई यू के मेम्बर देश को उन सभी निवेशों पर तुरन्त रोक लगा देनी चाहिए जो सी डी एम के सहारे से भट्टियॉं व लैन्डफिल गैस के सिस्टम चला रहे हैं ताकि उसके अपने ग्रीन हाउस गैसों के स्रावों को कम करने के प्रयासों की अखंडता बनी रह सके और संसाधनों की क्षमता व ई यू के कानूनों की इज़्ज़त बनी रहे। क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म के एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड को तुरन्त सी डी एम के सहारे वाले लैन्डफिल व भट्टियों को कार्बन केडिट देना बन्द कर देना चाहिए।

सी डी एम के सहारे वाले लैन्डफिल व भट्टियों पर और जनकारी के लिए कृप्या देखें:

EU Double Standards on Waste Management & Climate Policy
Discredited: Carbon credits from waste undermine EU waste policy and efforts to reduce climate change
Letter from Members of the European Parliament and civil society organizations to the European Commission and the EU Member States

जी ए आई ए 600 जनसाधारण समूहों (ग्रास रूट्स ग्रूप्स), गैर सरकारी संस्थानों व व्यक्तियों का 93 देशों में फैला हुआ एक अर्न्तराष्ट्रीय गठवन्धन है जिसका परम उद्देश्य एक निष्पक्ष व ज़हर रहित दुनिया का निर्माण करना है जो जलाने की किया से मुक्त हो।
www.no-burn.org

Courtesy: Gaia

पारखी नज़र

सी डी एम पर एन जी ओ की आवाज

सूचनापट्ट :

सी डी एम वॉच परिचर्चा मंच

यह वह जगह है जहाँ आप सी डी एम के विषय में अपने विचार दुनिया के सामने रख सकते हैं। क्या सी डी एम ने अपने लक्ष्य प्राप्त किए हैं? आपका सी डी एम के साथ अनुभव कैसा रहा? क्या आप किसी बात का खुलासा करना चाहेंगे? इसका लक्ष्य अब तक के प्रदर्शन के विषय में जानना, कमियाँ उजागर करना व अनुभवों से शिक्षा लेना है। सभी के विचार अमन्त्रित हैं।

http://forum.cdm-watch.org/ and leave a post.
पर लॉग इन करके अपने विचार छोड़ दें।

CDM Watch Discussion Forum

सी डी एम वॉच नेटवर्क का हिस्सा बनें!

हम सब एक साथ मिलकर कमज़ोर सरकारी नियम कानूनों का खुलासा करते रहेंगे व उन अभियानों व कार्यों को समर्थन देंगे जो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याग्रस्त सी डी एम प्रोजेक्टों के खिलाफ आवाज़ उठाएँगे। हमारे नए पंजीकरण फॉर्म के द्वारा यहाँ जाकर पंजीकरण कराएँ Register online व तीन में से कोई भी मेलिंग सूची को चुन कर उसमें शामिल हों व सी डी एम और कार्बन बाज़ारों के विकास के विषय में जानकारी प्राप्त करें। हमारे नेटवर्क का पेज अब अंग्रेज़ी, स्पैनिश व फ्रेन्च English, Spanish and French. में उपलब्ध है।

कोयोटो के "गर्म हवा के" बुलबुले को फोड़ें

बचाव के उस रास्ते को बन्द करने के लिए देशों के पास छह महीने से भी कम समय बचा है जो मौसम के नए दौर व्यवहारिकता को धमका रहा है। कोयोटो प्रोटोकॉल के अतिरिक्त भत्ते का मुद्दे को सुलझाना ज़रूरी है नहीं तो 2020 तक के मौसम के करार बेकार हो जाएँगे। फेसबुक पर Burst Kyoto's "Hot Air" Bubble को लकिए लाइके आप अभियान के बारे में सूचित रह सकते हैं।

सी डी एम वॉच के विषय में

CDM Watch
Scrutinizing Carbon Offsets

सी डी एम वॉच कार्बन बाज़ारों की समीक्षा करता है व एक समान और कारगर मौसम की वकालत की सुरक्षा करता है। सी डी एम वॉच की स्थापना 2009 में अन्तर्राष्ट्रीय एन जी ओ के पहल पर की गई ताकि व्यक्तिगत सी डी एम प्रोजेक्टों व राजनैतिक निर्णय प्रणाली जो वृहत कार्बन बाज़ार को प्रभावित करती है उस पर एक स्वतन्त्र नज़रिया प्रदान किया जा सके।

सी डी एम वॉच नेटवर्क एन जी ओ व दुनिया में उत्तर दक्षिण के शिक्षाविदों की सी डी एम प्रोजेक्टों व पॉलिसियों के विषय में सूचनाओं च चिंताओं को बाँटता है। इसका उद्देश्य सी डी एम व कार्बन बाज़ार के विकासों के सम्बन्ध में भद्र समाज की आवाज़ को मज़बूती प्रदान करना है।

Join the network

पारखी नज़र को प्राप्त करने के लिए कृप्या ई मेल करें
antonia@cdm-watch.org

हमसे इन पर जुड़ें | twitter @ CDMWatch and facebook

सी डी एम वॉच
Rue d'Albanie 117
1060 ब्रूसेल्स, बेल्जियम

info@cdm-watch.org
www.cdm-watch.org

डिस्क्लेमर: इस पत्रिका में रखे गए विचार लिखने वालों के अनुभव व ख्यालों पर आधारित हैं। अनिवार्य रूप से वे कहीं भी सम्पूर्ण सी डी एम वॉच नेटवर्क के मत व ख्यालों को नहीं दर्शाते।